



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 19.04.2025

- अपराध नियंत्रण की दिशा में चलाये गये अभियान के तहत कानपुर देहात पुलिस को मिली एक और सफलता।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0 129/2025 धारा 3(5)/333/115(2)/109/352/351(2) बीएनएस में वांछित 02 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में एवं पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी एवं अपराधों की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, वादिनी श्रीमती संतोष सिंह पत्नी श्रवण कुमार सिंह निवासिनी ग्राम मलासा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार थाना भोगनीपुर पर दिनांक 14.04.2025 को मु0अ0सं0 129/2025 धारा 3(5)/333/115(2)/109/352/351(2) बीएनएस बनाम 10 नफर नामजद अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए वांछित 01 नफर अभियुक्त को दिनांक 17.04.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा आज दिनांक 19.04.2025 को समय करीब 11.55 बजे मुखबिर की सूचना पर अकबरनगर तिराहे से थोड़ा पहले थाना क्षेत्र भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात से वांछित 02 नफर अभियुक्त 1. राजकुमार सिंह पुत्र तेज सिंह व 2. शिव बहादुर सिंह पुत्र सुभाष सिंह निवासीगण ग्राम मलासा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना कारित करने में प्रयुक्त 02 अदद बरछी को बरामद किया गया। अन्य अभियुक्तों की घटना में संलिप्तता व गिरफ्तारी के संबंध में साक्ष्य संकलन व अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. राजकुमार सिंह पुत्र तेज सिंह निवासी ग्राम मलासा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 56 वर्ष
2. शिवबहादुर सिंह पुत्र सुभाष सिंह निवासी ग्राम मलासा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र 35 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 129/2025 धारा 3(5)/333/115(2)/109/352/351(2) BNS थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

बरीमदगी का विवरण-

1. घटना कारित करने में प्रयुक्त 02 अदद बरछी।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछने पर बताया कि हमारी और विपक्षीयों में जमीनी रंजिश चल रही थी, विपक्षीयों मेरे ही परिवार के व्यक्ति हैं। इनके द्वारा पूर्व में हमारी दीवाल गिरायी थी एवं गेंहूँ के खेत में दवाई व मेरे अरहर के खेत में खड़ी फसल को काट दिया गया था, जिसके चलते रंजिश चल रही थी। उसी बात को लेकर हम लोगों ने मौका पाकर मारपीट की थी।

गिरफ्तार करने वाली थाना भोगनीपुर पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री रामकिशुन वर्मा चौकी प्रभारी देवीपुर
2. हे0कां0 71 अवधेश कुमार
3. कां0 182 सोनवीर सिंह